न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 122/2017

श्री भंवरलाल पुत्र श्री जगन्नाथ, निवासी ग्राम जुणदा, तहसील रूपनगढ, जिला अजमेर

.....*अपीलान्ट*

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ जिला अजमेर

.....*रेस्पोन्डेन्ट*

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

———

उपस्थित :–1. श्री रामदेव गुर्जर, वकील अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री शुभकरण सिंह चौधरी, सरकारी वकील।

–: आदेश :–

दिनांक–11.04.2018

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि संवत् 2073 में श्री भंवरलाल पुत्र श्री जगन्नाथ, निवासी ग्राम जुणदा, तहसील रूपनगढ ने ग्राम जुणदा के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 15/1 रकबा 1 बीघा किस्म गैर मु0 चरागाह पर अनाधिकृत रूप से बाड़ लगाकर अतिक्रमण कर लिया है। इस आशय की पटवारी हल्का की रिपोर्ट तहसीलदार रूपनगढ के समक्ष प्रस्तुत होने पर अतिक्रमी के विरूद्व राजस्व प्रकरण संख्या 15/2017 पंजीकृत किया जाकर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 07.04.2017 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेशानुसार अतिक्रमी की विवादित भूमि से बेदखली व शास्ति कायम करने के आदेश दिये गये। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 07.04.2017 से अप्रसन्न होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। पैरोकार सरकार द्वारा मियाद के बिन्दु पर एतराज दर्ज नहीं करवाये जाने पर न्यायहित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन कर उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपीय आदेश पारित करने से पूर्व उन्हें सुनवाई का मौका एवं सूचना दिये बिना तथा विवादित भूमि की मौका स्थिति की जांच किये बिना आक्षेपीय आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। उनका यह भी कथन है कि अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी में पूर्वजों के समय से ही विगत 20–30 वर्षों से पक्का आवासीय मकान बनाकर परिवार सहित निवास कर रहा है व

Scanned by CamScanner

विद्युत कनेक्शन भी ले रखा है। उक्त भूमि में राज्य सरकार द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत आवासीय मकान के पास ही शौचालय व स्नानघर का निर्माण किया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का से प्राप्त मौका रिपोर्ट के आधार पर बिना विधिक रूप से नोटिस तामील हुए विधि के प्रावधानों के विपरीत प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विरूद्व अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये एवं मौके की स्थिति की जांच किए आक्षेपीय आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है जबकि विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की विधिवत सुनवाई करनी चाहिये थी। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर परिपत्र जारी कर निर्देश प्रदान किये है कि यदि सद्भाविक रूप से व्यक्ति काबिज है तो नियमानुसार भूमि का नियमन किया जा सकता है। अपने कथन के समर्थन में उन्होने हमारा ध्यान राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 6(39)राज–6/2001/6 जयपुर दिनांक 07.06.2003 की ओर आकर्षित करते हुए आगे कथन किया कि अपीलान्ट एक सद्भाविक व्यक्ति है एवं अपने अर्जित अधिकारों के तहत ही आवासीय मकान का निर्माण कर अपने परिवार सहित निवास कर रहा है। अपने कथन के समर्थन में उन्होने हमारा ध्यान माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत आर.बी.जे. 1995 पार्ट–2 पेज 460 व आर.बी.जे. 2004 पेज 83 पर माननीय राजस्व मण्डल राजथान अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत की ओर आकर्षित करते हुए कथन किया जिसके अनुसार :–

"Rajasthan Land Revenue Act 1956- Section 91- When person in occupation of land raises bonafide dispute provisions of this sections cannot be invoked".

वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों के अनुसरण में सद्भाविक काबिज व्यक्ति को अतिक्रमी के रूप में माना जाकर धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही विधिक प्रावधानों के विपरीत है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाकर अपील अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड की जावे।

विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में पैरोकार सरकार का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है। अपीलान्ट द्वारा ग्राम जुणदा स्थित सिवाचयक भूमि पर अनाधिकृत रूप से मकान निर्माण करवाकर व बाड़ लगाकर अतिक्रमण किया गया है। विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज होने के साथ ही गैर मुमकिन चरागाह के रूप में दर्ज है जो आवंटन/नियमन योग्य भी नहीं है। अपीलान्ट का यह कथन गलत है कि उन्हें सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर देकर पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार विवादित भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर आक्षेपीय आदेश पारित किया गया है जो न्यायोचित है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त की जावें।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि पर अनाधिकृत रूप से आवासीय मकान निर्माण करवाकर व

Scanned by CamScanner

बाड़ लगाकर अतिक्रमण किया गया है। विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज होने के साथ ही गैर मुमकिन चरागाह की भूमि है जो नियमन योग्य भी नहीं है। अपीलान्ट का यह कथन भी गलत है कि उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया जबकि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर देकर पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार अतिक्रमण पाये जाने पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है उसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। हम उक्त आदेश में किसी प्रकार से हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट सारहीन एवं भारहीन होने से निरस्त की जाती है।

आदेश आज दिनांक 11.04.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलक्टर
अजमेर

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner